अपील सूचना अधिकार संख्या 48/2020 (RCMS 2020/00084) श्री पंकज कटारिया निवासी सत्यम नगर, एस.एस.बी. रोड़, श्रीगंगानगर – 335001 (मोबाईल नं. 9509770700) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17.03.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री पंकज कटारिया स्वयं उपस्थित हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी ने कथन किया कि उसने अपने प्रार्थना दिनांक 13.01.2020 से लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कलक्टर श्रीगंगानगर **से** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने यह प्रथम अपील पेश की है।

आज दिनांक 17.03.2020 को अपीलार्थी पंकज कटारिया स्वंय उपस्थित हुए और फर्द अहकाम पर अंकित किया कि उसे प्रमाणित प्रति प्राप्त हो गई है इसलिए वे इस अपील को आगे नहीं चलाना चाहते है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री पंकज कटारिया ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 13.01.2020 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

राजस्थान सेवा नियमों के आधार पर लगे संविदा कर्मी (अस्थाई कर्मचारी) को चुनावी कार्य पर लगाने पर राज्य सरकार कोई आदेश (प्रमाणित कॉपी) मांगी गई थी।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 3036 दिनांक 12.02.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

क्र.सं.	चाही गई सूचना	विवरण
1	राजस्थान सेवा नियमों के आधार पर संविदाकर्मी को चुनावी ड्यूटी बीएलओ प्रगणक या चुनाव के कार्य में लगाने के सम्बन्धित कोई सर्कुलर अथवा कोई आदेश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है उसकी एक प्रमाणित कॉपी उपलब्ध करवाएं। जिसमें संविदा कर्मी को चुनावी ड्यूटी गाईड–लाईन का पूर्ण रूप से उल्लेख हो।	संविदाकर्मी को चुनावी ड्यूटी बीएलओ प्रगणक या चुनाव के कार्य में लगाने के सम्बन्धित सर्कुलर/आदेश राजस्थान निवार्चन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप द्वारा चाही गई सूचना उक्त वेबसाईट पर प्राप्त कर सकते है।

चूंकि अपीलार्थी पंकज कटारिया ने पत्रावली के फर्द अहकाम पर अंकित किया है कि उसे आज दिनांक 17.03.2020 को प्रमाणित कॉपी उपलब्ध हो गई है। इसलिए कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। इसलिए प्रार्थी की अपील इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को **पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर